न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 784 / 2023

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र पूर्णराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लीलूराम पुत्र भादरराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सन्दीप पुत्र रोहताश जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. प्रकाश पुत्र रोहताश जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री भादरराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री भादर राम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. विद्या देवी पुत्री भादरराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. सन्तो पुत्री भादर राम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. प्रमेश्वरी पत्नी पूर्णाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
9. मुर्ति देवी पुत्री पूर्णाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
10. सुमित्रा पुत्री पूर्णाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
11. सुनिता पत्नी रोहताश जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 26/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 53 / 53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में से 1 / 90 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 प्रत्यके के नाम तथा 1 / 18 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6 व 7 प्रत्येक के नाम तथा 1 / 360 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 11 प्रत्येक के नाम एवं 1 / 72 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम व मृतक गुडी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भादरराम के नाम दर्ज थी। भादरराम के फौत होने के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है। गुडी पुत्री भादराम फौत हो चुकी है जिसके सजरा खानदान के अनुसार वारिसान प्रतिवादी स 5 है एवं पूर्णाराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तथा 8 ता 11 है तथा पूर्णाराम का पुत्र रोहताश भी फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 11 हहै। इसलिए मृतक पूर्णाराम एवं गुडडी के नाम दर्ज भूमि के प्रथम श्रेणी के वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 8 ता 11 व प्रतिवादी सं 5 विधिक उत्तराधिकारी हुए है। [illegible] प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 ने अपना [illegible] हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 11 ने अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में कमला के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा, सन्तो के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा व मृतक गुडी के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/9 हिस्सा दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/90 हिस्सा में नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/180 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 1/72 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/144 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/288 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम दर्ज 1/360 हिस्सा से नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1/720 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज़ नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी रोही मौजा नहराना खाता स0 53/53 सम्वत 2073–76, मृत्यु प्रमाण गुडडी, पूर्णाराम व रोहताश तथा सदस्य प्रमाण पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 4 [illegible] व 7 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 11 एवं प्रतिवादी संख्या 8 व मृतक गुडडी के नाम [illegible] राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 ने अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में कमला के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा, सन्तो के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा व मृतक गुडी के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/9 हिस्सा दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/90 हिस्सा में नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/180 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 1/72 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/144 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/288 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम दर्ज 1/360 हिस्सा से नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1/720 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 53/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में से 1/90 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 प्रत्यके के नाम तथा 1/18 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6 व 7 प्रत्येक के नाम तथा 1/360 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 11 प्रत्येक के नाम एवं 1/72 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम व मृतक गुडी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में कमला के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा, सन्तो के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा व मृतक गुडी के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/9 हिस्सा दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/90 हिस्सा में नाम कलमजन किया जाकर वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/180 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 1/72 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/144 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/288 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम दर्ज 1/360 हिस्सा से नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1/720 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इक़बाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा भादरराम अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा गुडडी, पूर्णाराम व रोहताश के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में कमला के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा, विद्या देवी के नाम 1/18 हिस्सा, सन्तो के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा व मृतक गुडी के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/90 हिस्सा में नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/180 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज 1/72 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी के 1/144 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/288 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम दर्ज 1/360 हिस्सा भूमि से नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/720 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 813/2024

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र पूर्णराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लीलूराम पुत्र भादरराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सन्दीप पुत्र रोहताश जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. प्रकाश पुत्र रोहताश जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री भादरराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री भादर राम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. विद्या देवी पुत्री भादरराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. सन्तो पुत्री भादर राम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. प्रमेश्वरी पत्नी पूर्णाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
9. मुर्ति देवी पुत्री पूर्णाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
10. सुमित्रा पुत्री पूर्णाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
11. सुनिता पत्नी रोहताश जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 813 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगीलाल देहडू एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में कमला के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा, विद्या देवी के नाम 1/18 हिस्सा, सन्तो के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा व मृतक गुडी के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/9 हिंस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/90 हिस्सा में नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/180 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज 1/72 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी के 1/144 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/288 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम दर्ज 1/360 हिस्सा भूमि से नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/720 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष[illegible]ना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर